ग्राम पंचायत बवासनी, वि० ख० नालागढ़, ज़िला सोलन, हि०प्र० – 174101
के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बवासनी, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति मनविंदर कौर	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री नीरज भण्डारी	01/04/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राम लोक	01/04/2022 से 19/01/2023
2.	श्री कमलजीत सिंह	28/01/2023 से 06/12/2023
3.	श्री राजन कुमार	15/12/2023 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति तरसेम लाल	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत बवासनी के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अत्यधिक अन्तर पाया जाना	**12.75**
2.	4.2	13 वें वित्तायोग अनुदान की रोकड़ बही में अनुचित/ असमर्थित/फर्ज़ी प्रविष्टियों का पाया जाना	**2.17**
3.	4.3	14 वें वित्तायोग व सभा निधि की रोकड़ बहियों में बिना किसी प्रशासनिक स्वीकृति के हस्तांतरण करना	**7.63**
4.	4.4	दिनांक 31.03.2024 को सभा निधि एवं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGYS) की रोकड़ बही अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक एवं नियमों के विपरीत हस्तगत नकद शेष का पाया जाना	**0.08**

5.	6.1	अनुदान राशि का अवरोधन करना	**19.10**
6.	7.1	पंचायत राजस्व संपत्ति कर/गृहकर वसूली हेतु शेष पाया जाना	**1.32**
7.	8.1	स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय को बैक खाते में जमा करवाये बिना ही व्यय करना	**0.14**
8.	8.2	वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के में रॉयल्टी से संबन्धित फार्म W या X प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को अनियमित भुगतान करना	**14.56**
9.	8.3	सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	**0.31**
10.	8.4	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	**17.70**
11.	9.1	मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को राशि का अनियमित भुगतान करना	**1.61**
12.	10.1	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि को हि० प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि बारे	**0.11**

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत बवासनी, विकास खण्ड नालागढ़, ज़िला सोलन के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री बनीश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 27.03.2025 से 07.04.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	03/2023	07/2022
2023-24	11/2023	10/2023

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5600/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 13/2025/बवासनी दिनांक 07.04.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 07.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. **वित्तीय स्थिति**:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 05/2025 दिनांक 10.03.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में भी दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत व BBNDA:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	996077.50	622585.57	1618663.07	701011.15	917651.92
2023-24	917651.92	313759.73	1231411.65	503872.55	727539.10

2. (क) अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23 (INCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	3613035.45	11617026.62	15230062.07	11403075.97	**3826986.10**
2023-24 (EXCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	1041902.58	5924863.60	6966766.18	5064158.88	**1902607.30**

2 (ख) अनुदान

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2023-24 (14वां वित्तायोग)	866819.40	0.00	866819.40	0.00	**866819.40**
2023-24 (15वां वित्तायोग)	1918264.12	289124.00	2207388.12	459357.88	**1748030.24**

कुल योग (1+2क व 2 ख) =727539.10 + 1902607.30+866819.40+ 1748030.24+ 8278.59(नगद शेष)= **52,53,274.63**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से **₹52,53,274.63** तथा बैंक खातों की राशि के अन्तशेष **₹39,78,749.63 (परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र० स०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	आपदा राहत कोष CRF गुरु रविदास नागरिक सुविधाएं उन्नयन योजना (GRCAGS) लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम LADP सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS मुख्यामंत्री आदर्श ग्राम योजना (MMAGY) मुख्यामंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY) सभा निधि / SF क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक उपयोजना (SCSPSC) 13 वा वित्तायोग विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.) स्वच्छ भारत मिशन (SBM) विकास में जन सहयोग योजना (V.M.J.S.Y.)	JCC बैंक, नालागढ़	01334022000174	1362021.42
2	5वां राज्य वित्तायोग (5TH SFC) नेशनल रूलर हेल्थ मिशन NRHM सभा निधि / SF प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGYS)	JCC बैंक, नालागढ़	01334022000149	858664.07

	14 वा वित्तायोग 13 वा वित्तायोग			
3	14 वा वित्तायोग सभा निधि / SF	JCC बैंक, नालागढ़	101334022100018	0.00
4	इंदिरा आवास योजना IAY सभा निधि / SF राजीव आवास योजना एरस्टव्हील अटल आवास योजना RAYEAAY स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	SBI, ADB, नालागढ़	55106797097	0.00
5	सभा निधि / SF 15 वा वित्तायोग	JCC बैंक, नालागढ़	101334022100030	1758064.14
			जोड़ (क)	**3978749.63**
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-				**5253274.63**
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-				**3978749.63**
			अंतर :-	**1274525.00**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹12.75 लाख का अत्यधिक अन्तर बारे:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4(ख) के अनुसार **₹12,74,525.00** की राशि का अन्तर पाया गया इस कारणवश यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/बवासनी दिनांक 07.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 07.04.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि इस संदर्भ में त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया जाता है कि रोकड़ बहियों का बैंक से मिलान कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके तथा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 13 वें वित्तायोग अनुदान की रोकड़ बही में ₹2.17 लाख की राशि का अनुचित/ असमर्थित/फर्जी प्रविष्टियाँ पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 के अनुसार ग्राम पंचायत खाता से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्रता: प्रविष्टि किया जाएगा व उक्त खातों की पासबुक(कें) बनाई रखी जाएंगी।

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न अनुदानों की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया गया की रोकड़ बही में राशि **₹2,16,716.65** की भुगतान प्रविष्टि दर्ज की गई थी जिसका विवरण निम्न तालिका अनुसार है जिसके समर्थन में कोई बिल/ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया व बैंक पास बुक से मिलान करने पर भी इस प्रकार का कोई लेन-देन नहीं पाया गया है, जिस कारण उक्त प्रविष्टियाँ अनुचित/असमर्थित प्रतीत होती हैं।

(i) व्यय

अनुदान	**रोकड़ बही वॉउचर संख्या/ दिनांक**	**विवरण रोकड़ बही अनुसार**	**रोकड़ बही में इन्द्राज की गई राशि (₹)**
OWN	THFC/2022-23/P/1 - 30.04.2022	Adjustment 13th FC account balance nil but shown in E gram swaraj	2,16,716.65
		कुल राशि	**2,16,716.65**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2025/बवासनी दिनांक 07.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 07.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को त्रुटि स्वीकार करते हुये बताया कि Online cashbook में गलती से यह इंद्राज की गई है, जिसे सही करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा व भविष्य में इस प्रकार की कोई Entry रोकड़ बही में नहीं की जायेगी। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर सभी अनुदानों की रोकड़ बहियों की विस्तृत जांच की जाये व तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अनुचित एवं असमर्थित राशि की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

4.3 14वें वित्तायोग व सभा निधि की रोकड़ बहियों में राशि ₹7.63 लाख की राशि को बिना किसी प्रशासनिक स्वीकृति के हस्तांतरण करना : -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **10** के अनुसार ग्राम पंचायत खाता से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्रतः प्रविष्ट किया जाएगा व उक्त खातों की पासबुक(कें) बनाई रखी जाएगी।

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित विवरण अनुसार रोकड़ बहियों में राशि ₹7,63,338.00 की राशि को स्थानान्तरित करना व इस प्रकार की कोई भी प्रविष्टीयां करने से पूर्व किसी प्रकार की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई।

(i) व्यय

अनुदान	**रोकड़ बही वॉउचर संख्या/ दिनांक**	**विवरण रोकड़ बही अनुसार**	**रोकड़ बही में इन्द्राज की गई राशि (₹)**
14TH FC	FFC/2022-23/R/1 - 21.03.2023	Fund transferred own to 14th FC	40000
सभा निधि	OWN/2022-23/R/33 - 31.03.2023	All Int. received from account 18 to Nidhi	361669

सभा निधि	OWN/2022-23/R/37 - 31.03.2023	Int. Transferred	361669
		कुल राशि	**7,63,338**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2025/बवासनी दिनांक 07.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या NIL दिनांक 07.04.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि यह प्रविष्टियां सभी अनुदानों का केवल एक खाता होने के कारण केवल अनुदानों में अंत शेष राशि को स्थानान्तरित किया गया है, लेकिन इसकी कोई प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई है जो की जानकारी के अभाव के कारण हुआ है, भविष्य में इस प्रकार की गलती को नहीं दोहराया जायेगा। जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। प्रत्युत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है ।

अत: इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर रोकड़ बहियों की जांच की जाये व वस्तुस्थिति अनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

4.4 दिनांक 31.03.2024 को सभा निधि एवं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGYS) की रोकड़ बही अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक एवं नियमों के विपरीत राशि ₹0.08 लाख हस्तगत नकद शेष का पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 10(3) के अनुसार पँचायत सचिव द्वारा ₹1000/- तक की राशि ही नकद रूप में हस्तगत रखी जा सकती है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया कि सभा निधि व प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGYS) की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर दिनांक 31.03.2024 को प्रावधित सीमा से अधिक कुल नकद राशि **₹ 8,278.59** को हस्तगत रखा गया था, जिस राशि को रोकड़ बही में नगद अन्तशेष के रूप में दरसाया गया है जोकि एक अति गम्भीर अनियमितता है जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/बवासनी दिनांक 07.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 07.04.2025 द्वारा उत्तर दिया गया की नगदशेष **₹8,278.59** की राशि को सभा निधि के बैंक खाते में जमा करवा किया जाएगा व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नहीं दोहराया जायेगा व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अतः उपरोक्त बकाया हस्तगत नकद शेष को बैंक में जमा करवाकर, रोकड़ बही में उचित तरीके से इन्द्राज किया जाए व निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत रखी गई राशि का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इस गम्भीर अनियमितता की विभागीय स्तर पर सभा निधि की रोकड़ बहियों की जांच की जाये तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.5 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/बवासनी दिनांक 07.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 07.04.2025 द्वारा उत्तर दियां गया कि खाता बही अपूर्ण है भविष्य में नियमानुसार खाता बही का अद्यतन कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी

खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.6 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय तथा व्यय के लिये दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिये एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन-देन के लिये अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिये प्रविष्टि की जाएगी।

अंकेक्षण के दौरान वर्गीकृत सार रजिस्टर के अभाव के कारण पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बरबादी हुई है। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/बवासनी दिनांक 07.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 07.04.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण वर्गीकृत सार तैयार नहीं किया गया है भविष्य में नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिये नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.7 योजनावार पृथक बैंक खाते न खोलना व एक योजना के एक से अधिक खाते खोलना : -

निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) के कार्यान्वयन हेतु योजनावार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के संबंध में जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत

पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से संबंधित स्वीकृति पत्र में PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निधियों के आय व्यय हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाता नहीं खोले गये है व कुछ योजनाओं के लिए एक से अधिक खातों का प्रयोग किया जा रहा है, जोकि अनियमित है व जिस बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

क्र० स०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या
1	आपदा राहत कोष CRF	JCC बैंक, नालागढ़	01334022000174
	गुरु रविदास नागरिक सुविधाएं उन्नयन योजना (GRCAGS)		
	लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम LADP		
	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS		
	मुख्यामंत्री आदर्श ग्राम योजना (MMAGY)		
	मुख्यामंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)		
	सभा निधि / SF		
	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)		
	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक उपयोजना (SCSPSC)		
	13 वा वित्तायोग		
	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)		
	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)		
	विकास में जन सहयोग योजना (V.MJ.S.Y.)		
2	5वां राज्य वित्तायोग (5TH SFC)	JCC बैंक, नालागढ़	01334022000149
	नेशनल रूलर हेल्थ मिशन NRHM		
	सभा निधि / SF		
	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGYS)		
	14 वा वित्तायोग		
	13 वा वित्तायोग		
3	14 वा वित्तायोग	JCC बैंक, नालागढ़	101334022100018
	सभा निधि / SF		

4	इंदिरा आवास योजना IAY सभा निधि / SF राजीव आवास योजना एरस्टव्हील अटल आवास योजना RAYEAAY स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	SBI, ADB, नालागढ़	55106797097
5	सभा निधि / SF 15 वा वित्तायोग	JCC बैंक, नालागढ़	101334022100030

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण उपरोक्त तालिका में वर्णित अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2025/बवासनी दिनांक 07.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 07.04.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार योजना वार अलग-अलग बैंक खाते खोलकर व एक योजना केवल एक ही खाते का प्रयोग किया जाये व एक से अधिक खातों को बन्द करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व समस्त अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.8 PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) पर नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण एवं लेखांकन न करने: -

निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज (PRIASoft) लेखा प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाता

खोलने के संबंध में जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से संबंधित स्वीकृति पत्र में ई ग्राम स्वराज (PRIASoft) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण के आय व्यय का लेखांकन सभा निधि रोकड़ बही में किया जा रहा है ।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/बवासनी दिनांक 07.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 07.04.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया कि भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण एवं लेखांकन कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिए आश्वासन अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व:-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/बवासनी दिनांक 07.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया,

जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 07.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹ 19.10 लाख का अवरोधन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 05/2025 दिनांक 10.03.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹19,10,107.30** की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/बवासनी दिनांक 07.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 07.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी को स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **79**(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज विभाग हि०प्र० के पत्र सं० पी०सी० एच०-एच०, ए० (5)(सी)(15)313/88-4614-478 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व अन्य स्वीकृत एजेन्सी से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवायेगा ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित कर सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों के आदेश/ स्वीकृति पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाये। लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/बवासनी दिनांक 07.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 07.04.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदानों के आदेश व स्वीकृति पत्र विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त नहीं हुए है जिन्हें भविष्य में प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा ।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए एवं अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.3 अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **61 (1)** के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण

किया जाना अपेक्षित है एवं नियम **79(2)** के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/बवासनी दिनांक 07.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 07.04.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदान रजिस्टर असंधारित है एवं भविष्य में अनुदान रजिस्टर को संधारित कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (**Update)** करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखांकन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत राजस्व संपत्ति कर/गृहकर राशि ₹1.32 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका असंधारित थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2025/बवासनी दिनांक 27.03.2025 की अनुपालना में पत्र क्रमांक Nil दिनांक 01.04.2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹100/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹1,31,980.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - "घ"** पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर से संबंधित मांग व संग्रहण पंजिका असंधारित होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं

लगाया जा सका। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/बवासनी दिनांक 07.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक Nil दिनांक 07.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर रजिस्टर को संधारित कर लिया जायेगा व 31.03.2024 के जो भी राशि वसूली हेतु शेष थी, उसे वित्त 2024-25 की गृहकर राशि के साथ वसूल करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका को संधारित कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.1 स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैक खाते में जमा करवाये बिना ही ₹0.14 लाख के व्यय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 6(3) के प्रावधानानुसार, पंचायत को सभी प्राप्तियों को प्रथमतः बैंक खाते में जमा तथा तद्रोपरान्त सभी प्रकार के भुगतान को खाते से किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड बही, बैंक पास बुक व सम्बन्धित अभिलेख में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाये बिना सीधे ही निम्न विवरण अनुसार **₹13,575.00** का व्यय किया गया था, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ड़ "** पर संलग्न है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, अपितु आपत्तिजनक भी है जिससे पंचायत के स्व:-स्त्रोतों की आय के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2025/बवासनी दिनांक 04.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या NIL दिनांक 05.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में कुल ₹13,575/- की राशि का भुगतान नगद रूप से किया गया है जोकि इससे सम्बन्धित जानकारी के अभाव के कारण हुआ है, भविष्य में इस प्रकार की गलती को नहीं दोहराया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.2 वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के में रॉयल्टी से संबन्धित फार्म w या x प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को ₹14.56 लाख का अनियमित भुगतान करना:-

अवधि 04/2022 से 03/2024 में रेत, बजरी व पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु खरीद की गई निर्माण सामग्री के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'X' या 'W' प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन-(आर.डी. एवं पी.आर)-डी.बी.जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30, दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म "X"या "W" प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत बवासनी द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांज़िट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को संलग्न विवरण अनुसार ₹**14,55,877.25** का अनियमित भुगतान किया गया। जिसका विवरण **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है उक्त प्रकरण अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 12/2025/बवासनी दिनाँक 07.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बवासनी के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु

लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा क्रमांक संख्या NIL दिनांक 07.04.2025 द्वारा सबन्धि आपूर्तिकर्ता से उचितं फार्म को प्रस्तुत करने को कहा जायेगा व आगामी अंकेंक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायगा व भविष्य में बिना ट्रांजिट पास के किसी भी खनन समग्री के बिलों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि क्रय की गई रेत व बजरी से संबधित फार्म W या X अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए अन्यथा अनियमित रूप से भुगतान की गई राशि की वसूली करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8.3 सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.31 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारेः-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक 29.09.2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती संबंधित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबंधित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के व्यय चयनित माह 07/2022 व 10/2023 के बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु अंकेक्षण अवधि के चयनित माह के दौरान कुल राशि **₹15,37,984.00** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि का 2% की दर से राशि

₹30,759.68 की कटौती नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/बवासनी दिनांक 07.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 07.04.2025 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। ग्राम पंचायत इस त्रुटि को स्वीकार करती है। अतः अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण के दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से करने उपरांत सम्पूर्ण राशि संबंधित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी. टी.डी.एस. से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹ 17.70 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित है।

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹17,70,208.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट – "ज"** में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/बवासनी दिनांक 07.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 07.04.2025 द्वारा बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में तथा कार्य की आकस्मिकता के कारण औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया जा सका व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित अनियमितता बारे:-

9.1 मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को राशि ₹1.61 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

निदेशक-सह-आयुक्त (मनरेगा) ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश, के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु आपूर्तिकर्ता के खातों में सामग्री का भुगतान करने के बजाय, इसे व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में के व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये खरीदी गई सामग्री हेतु भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने के परिणामस्वरूप राशि **₹1,60,848.38** का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है , जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " झ "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/बवासनी दिनांक 07.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर NIL दिनांक 07.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि इस स्धर्व में ग्राम रोजगार सेवक से विस्तृत चर्चा कर ली गई है व उन्होंने गलती के स्वीकार किया है व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नहीं दोहराया जायेगा । प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार सामग्री का भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति से समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये तदनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्हीं को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2024/बवासनी दिनांक 07.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 07.04.2025 द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs (fund transfer orders) एवं

Movement Slip पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अतः FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip का पंचायत में न पाया जाने को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.11 लाख को हि०प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि बारेः -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹11,450.00** जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ञ "** में दिया गया है। जिसे राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस कारण हि०प्र० राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2025/बवासनी दिनांक 05.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर NIL दिनांक 05.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जिसे भविष्य में सुधार लिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत

करवाया जाये व अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.2 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गई थी परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :-

11.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है जिस कारण अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों एवं तथ्यों की सत्यता, पुष्टि एवं प्रमाणीकरण संभव नहीं हो सका।

(क) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 अनुसार:-

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01

2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	लेखा खाता	29(1)	07
4.	वर्गीकृत संक्षिप्त सार	29(4)	08
5.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	48	13
8.	वेतन जांच रजिस्टर	58	18
9.	यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर	60	20
10.	स्टाम्प रजिस्टर	61 (2)	24
11.	लेखन सामग्री रजिस्टर	72 (1)	28
12.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर	89	30
13.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31
14.	अनुदान रजिस्टर	61 (1)	21

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) 1997 अनुसार

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	34	02
2.	स्टॉक सामग्री रजिस्टर	35	06
3.	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर	35	07
4.	सहायता अनुदान रजिस्टर	34	08
5.	कर रजिस्टर	34	16
6.	विकास कार्यों का लेखा जोखा	18(3), 27(3), 97(5) व 115(5)	34

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2025/बवासनी दिनांक 05.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 05.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/बवासनी दिनांक 07.04.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 07.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा।

प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :-

(क) हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ख) PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में खातों का रख-रखाव बारे नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA Act 2005) एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र (Annual Master Circular) और हि०प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा वर्णित नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से मनरेगा के क्रियान्वयन में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

06 JUN 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 07.6.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2626670

का०/डमी

3307- 3311

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (4) 70/2025 खण्ड—1 दिनांक शिमला—09
प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन हि0प्र0।
5. **पंजीकृत** सचिव, ग्राम पंचायत बवासनी, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

06 JUN 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 02.6.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2626670

का०/डमी

परिशिष्ट " क ", पैरा सं० " 5 क व 6.1 " के सन्दर्भ में

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP BAWASNI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES, BBNDA

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	996077.50	622585.57	1618663.07	701011.15	917651.92
2023-24	917651.92	313759.73	1231411.65	503872.55	727539.10

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23 (INCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	3613035.45	11617026.62	15230062.07	11403075.97	3826986.10
2023-24 (EXCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	1041902.58	5924863.60	6966766.18	5064158.88	1902607.30

ONLINE AUDIT

GRANTS-IN AID	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
14TH FC	2023-24	866819.40	0.00	866819.40	0.00	866819.40
15TH FC	2023-24	1918264.12	289124.00	2207388.12	459357.88	1748030.24

सचिव ग्राम पंचायत बवासनी

परिशिष्ट " 2क ", पैरा संख्या " 4 क व 6.1 " के सन्दर्भ में

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP BAWASNI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5TH SFC	2022-23	221894.67	319693.00	541587.67	360400.00	181187.67
		2023-24	181187.67	679020.00	860207.67	586465.00	273742.67
2	VKVNY	2022-23	216681.00	600000.00	816681.00	430620.70	386060.30
		2023-24	386060.30	250000.00	636060.30	290362.56	345697.74
3	MPLADS	2022-23	0.00	200000.00	200000.00	184024.87	15975.13
		2023-24	15975.13	0.00	15975.13	0.00	15975.13
4	SDP (5%DCP)	2022-23	223416.42	677129.74	900546.16	853225.19	47320.97
		2023-24	47320.97	0.00	47320.97	33611.60	13709.37
5	VMJS	2022-23	39407.00	1692500.00	1731907.00	1712975.60	18931.40
		2023-24	18931.40	2137300.00	2156231.40	1502401.12	653830.28
6	IAY	2022-23	124298.11	0.00	124298.11	0.00	124298.11
		2023-24	124298.11	0.00	124298.11	0.00	124298.11
7	NRHM	2022-23	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
		2023-24	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
8	PMAGYS	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	RAYEAAY	2022-23	81058.00	0.00	81058.00	0.00	81058.00
		2023-24	81058.00	0.00	81058.00	0.00	81058.00
10	GRDY	2022-23	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
		2023-24	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
11	SBM	2022-23	112509.00	0.00	112509.00	0.00	112509.00
		2023-24	112509.00	0.00	112509.00	0.00	112509.00
12	MMGPY	2022-23	64552.00	0.00	64552.00	0.00	64552.00
		2023-24	64552.00	0.00	64552.00	0.00	64552.00
13	LDP	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	200000.00	200000.00	0.00	200000.00
14	CRF	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	313600.00	313600.00	306375.00	7225.00
15	13TH FC	2022-23	216716.65	0.00	216716.65	216716.65	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	MNREGA	2022-23	0.00	3208318.44	3208318.44	3208318.44	0.00
		2023-24	0.00	1172471.80	1172471.80	1172471.80	0.00
17	14TH FC	2022-23	1076719.40	40000.00	1116719.40	249900.00	866819.40
18	15TH FC	2022-23	1225773.20	1671067.00	2896840.20	978576.08	1918264.12

	ONLINE AUDIT 2023-24						
SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	14TH FC	2023-24	866819.40	0.00	866819.40	0.00	866819.40
2	15TH FC	2023-24	1918264.12	289124.00	2207388.12	459357.88	1748030.24

31

परिशिष्ट " ग ", पैरा संख्या " 4 ख " के सन्दर्भ में

कार्यालय ग्राम पंचायत बवासनी, विकास खण्ड नालागढ़, ज़िला सोलन, हि०प्र०, पिन-174101

बैंक व रोकड़ बही अंतर

ग्राम पंचायत बवासनी के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष:-

क्र० स०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	आपदा राहत कोष CRF गुरु रविदास नागरिक सुविधाएं उन्नयन योजना (GRCAGS) LADP MPLADS (MMAGY) (MMGPY) सभा निधि / SF क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक उपयोजना (SCSPSC) 13 वा वित्तायोग विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.) स्वच्छ भारत मिशन (SBM) विकास में जन सहयोग योजना (V.M.J.S.Y.)	JCC बैंक, नालागढ़	01334022000174	1362021.42
2	5वां राज्य वित्तायोग (5TH SFC) नेशनल रूलर हेल्थ मिशन NRHM सभा निधि / SF प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGYS) 14 वा वित्तायोग 13 वा वित्तायोग	JCC बैंक, नालागढ़	01334022000149	858664.07
3	14 वा वित्तायोग सभा निधि / SF	JCC बैंक, नालागढ़	101334022100018	0.00
4	इंदिरा आवास योजना IAY सभा निधि / SF राजीव आवास योजना एरस्टव्हील अटल आवास योजना RAYEAAY स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	SBI, ADB, नालागढ़	55106797097	0.00
5	सभा निधि / SF 15 वा वित्तायोग	JCC बैंक, नालागढ़	101334022100030	1758064.14
			जोड़ (क)	3978749.63
			हस्तगत शेष (ख)	8278.59
			कुल जोड़ (क + ख)	3987028.22
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-			5253274.63
	पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-			3978749.63
			अंतर :-	1274525.00

सचिव ग्राम पंचायत बवासनी

परिशिष्ट " ध " , पैरा संख्या " 7.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बवासनी क्षेत्र के पंजीकृत निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 669 से ₹ 100/- प्रति परिवार तथा 2023-24 में 707 परिवारों का ₹ 100/- प्रति परिवार, प्रति वर्ष की दर से लगाया गया है। यह डाटा ऑनलाइन परिवार रजिस्टर अनुसार है, व रजिस्टर असन्धारित है वित्त वर्ष 2021-22 का अन्तशेष Audit Note से लिया गया है

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 37,180.00	669	₹ 100.00	₹ 66,900.00	₹ 1,04,080.00	₹ 100.00	₹ 1,03,980.00
2023-24	₹ 1,03,980.00	707	₹ 100.00	₹ 70,700.00	₹ 1,74,680.00	₹ 42,700.00	₹ 1,31,980.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹1,31,980/-** है।						

नीरज मण्डारी
सचिव
ग्राम पंचायत बवासनी

परिशिष्ट " 5. ", पैरा संख्या " 8.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बवासनी द्वारा ₹ 0.14 लाख कि राशि का रोकड़ व्यय जो बैंक में जमा करवाए बिना सीधे खर्च करने करने की सूचि

क्रम० सं०	वाउचर संख्या	दिनांक	रोकड़ व्यय जो बैंक के माध्यम से नही किया गया व अनुमित राशि से अधिक राशि का नगद रूप में व्यय करना	राशि (₹)	टिप्पणी
1	OWN/2022-23/P/3	29.05.2022	Electricity bill	987	राशि को बैंक में जमा ना करके सीधे खर्च करना
2	OWN/2022-23/P/5	18.06.2022	Shulni mela receipt	1000	राशि को बैंक में जमा ना करके सीधे खर्च करना
3	OWN/2022-23/P/15	19.10.2022	Electricity bill	827	राशि को बैंक में जमा ना करके सीधे खर्च करना
4	OWN/2022-23/P/16	19.10.2022	Gram Sabha Jal Pan	1900	राशि को बैंक में जमा ना करके सीधे खर्च करना
5	OWN/2022-23/P/17	19.10.2022	Color Photo and other bill	550	राशि को बैंक में जमा ना करके सीधे खर्च करना
6	OWN/2022-23/P/18	31.10.2022	Electricity bill	206	राशि को बैंक में जमा ना करके सीधे खर्च करना
7	OWN/2022-23/P/25	05.01.2023	Other Exp. Mela receipt	1000	राशि को बैंक में जमा ना करके सीधे खर्च करना
8	OWN/2022-23/P/26	05.01.2023	Electricity bill	405	राशि को बैंक में जमा ना करके सीधे खर्च करना
9	OWN/2023-24/P/16	26.12.2023	Misc. Expanse	1970	राशि को बैंक में जमा ना करके सीधे खर्च करना
10	OWN/2023-24/P/23	30.03.2024	Office Expanse	295	राशि को बैंक में जमा ना करके सीधे खर्च करना
11	OWN/2023-24/P/24	30.03.2024	Office Expanse	500	राशि को बैंक में जमा ना करके सीधे खर्च करना
12	OWN/2023-24/P/25	30.03.2024	Office Expanse	2435	राशि को बैंक में जमा ना करके सीधे खर्च करना
13	OWN/2023-24/P/26	30.03.2024	Office Expanse	900	राशि को बैंक में जमा ना करके सीधे खर्च करना
14	OWN/2023-24/P/27	30.03.2024	Office Expanse	600	राशि को बैंक में जमा ना करके सीधे खर्च करना
			कुल राशि	13575	

37-34

परिशिष्ट " च ", पैरा संख्या " 4.2 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बवासनी द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के दौरान ₹ 14.56 लाख राशी के बिलों के अनियमित भुगतान का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	मात्रा	Deno	दर	कुल राशि	ट्रांजिट पास में अंकित बस्तु का भार (टन)
	अनुदान शीर्ष : VKVNY/SDP/VMJS/OWN								
1	Ram Chand	VKVNY/2022-23/P/7 30/07/2022	98-15/06/2022	Sand	250	CFT	38.9	9712.25	उपलब्ध नही है
2	Ram Chand	VKVNY/2022-23/P/7 30/07/2022	99-16/06/2022	Bajri	500	CFT	38.9	26418.00	उपलब्ध नही है
				Gatka	180	CFT	38.9		
3	Ram Chand	VKVNY/2022-23/P/9 10/10/2022	101-23/06/2022	Bajri	200	CFT	38.9	11000.00	उपलब्ध नही है
				Sand	100	CFT	38.9		
4	VIRENDER SHARMA	VKVNY/2022-23/P/12 04/02/2022	67-05/01/2023	Sand	150	CFT	47.2	20768.00	उपलब्ध नही है
				Bajri	290	CFT	47.2		
5	VIRENDER SHARMA	VMJS/2022-23/P/8 29/12/2022	60-28/09/2022	Sand	400	CFT	47.2	47200.00	उपलब्ध नही है
6				Bajri	600	CFT	47.2		
7	VIRENDER SHARMA	VMJS/2022-23/P/11 29/12/2022	58-24/09/2022	Gatka	1000	CFT	47.2	47200.00	उपलब्ध नही है
8			57-23/09/2022	Gatka	1000	CFT	47.2	47200.00	उपलब्ध नही है
			56-22/09/2022	Gatka	1000	CFT	47.2	47200.00	उपलब्ध नही है
9	VIRENDER SHARMA	VMJS/2022-23/P/14 16/03/2023	59-25/09/2022	Gatka	500	CFT	47.2	23600.00	उपलब्ध नही है
10	VIRENDER SHARMA	VMJS/2022-23/P/15 16/03/2023	62-20/12/2022	Sand	500	CFT	47.2	41300.00	उपलब्ध नही है
11	VIRENDER SHARMA			Dust	500	CFT	35.4		
12	VIRENDER SHARMA	VMJS/2022-23/P/16 16/03/2023	64-22/12/2022	Dust	1000	CFT	35.4	35400.00	उपलब्ध नही है
13		VMJS/2022-23/P/17 16/03/2023	63-21/12/2022	Bajri	1000	CFT	47.2	7181.00	उपलब्ध नही है
14	VIRENDER SHARMA	MPLAD/2022-23/P/2 29/09/2022	48-01/09/2022	Gatka	1100	CFT	44.8	49280.00	उपलब्ध नही है
			49-05/09/2022	Gatka	1100	CFT	44.8	49280.00	उपलब्ध नही है
15	VIRENDER SHARMA	MPLAD/2022-23/P/5 29/11/2022	54-20/09/2022	Sand	15	CFT	44.8	2016.00	उपलब्ध नही है
				Bajri	30	CFT	44.8		
16	VIRENDER SHARMA	MPLAD/2022-23/P/4 29/11/2022	51-20/09/2022	Gatka	1100	CFT	44.8	49280.00	उपलब्ध नही है
17	Ram Chand	SDP/2022-23-/P/5 22/07/2022	92-05/04/2022	Bajri	100	CFT	38.9	20000.00	उपलब्ध नही है
				Sand	35	CFT	38.9		
				Gatka	400	CFT	38.9		
				Dust	150	CFT	38.9		
18	Ram Chand	SDP/2022-23-/P/6 22/07/2022	93-07/04/2022	Bajri	280	CFT	38.9	19036.00	उपलब्ध नही है
				Sand	160	CFT	38.9		
				Dust	50	CFT	38.9		
19	VIRENDER SHARMA	SDP/2022-23/P/16 04/03/2022	73-27/01/2023	Bajri	780	CFT	47.2	36816.00	उपलब्ध नही है
20	VIRENDER SHARMA	SDP/2022-23/P/19 04/03/2022	74-27/01/2023	Sand	410	CFT	47.2	19352.00	उपलब्ध नही है

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	मात्रा	Deno	दर	कुल राशि	ट्रांजिट पास में अंकित बस्तु का भार (टन)
33	VIRENDER SHARMA	XVFC/2023-24/P/6 16/06/2023	87-10/03/2023	Sand	70	CFT	47.2	21100.00	उपलब्ध नही है
				Dust	330	CFT	35.4		
				Bajri	130	CFT	47.2		
34	VIRENDER SHARMA	XVFC/2023-24/P/8 16/06/2023	88-04/04/2023	Sand	130	CFT	47.2	26756.00	उपलब्ध नही है
				Dust	250	CFT	35.4		
				Bajri	250	CFT	47.2		
35	M/s Gian Chand Govt. Contactor	XVFC/2023-24/P/13 14/01/2023	75-25/12/2023	Sand	250	CFT	42	38325.00	उपलब्ध नही है
				Bajri	400	CFT	42		
				Stone	350	CFT	31.5		
36	M/s Gian Chand Govt. Contactor	XVFC/2023-24/P/15 14/01/2023	77-25/12/2023	Sand	100	CFT	42	16800.00	उपलब्ध नही है
				Bajri	180	CFT	42		
				Dust	150	CFT	33.6		
							कुल राशि	1455877.25	

नीरज भण्डारी

सचिव

96

परिशिष्ट " ६ ", पैरा संख्या " 8.3 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बवासनी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 07/2022 के सभी अनुदानों व 10/2023 के दौरान 15 वाँ वित्तायोग के अतिरिक्त के वोउचरों में स्रोत पर आयकर की कटौती न करके के कारण ₹ 0.31 लाख की वसूली न करने की सूची

क्र०सं०	शीर्ष	काम का व्योरा	वा0 सं ० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	व्यय राशी	कटौती की दर	स्रोत पर कर की राशी (₹)
1	VKVNY	नि० लिंक रोड विद पुली नियर सुख राम हाउस व अदर गाँव गुल्लरवाला	VKVNY/2022-23/P/4 30/07/2022	A V CEMENT FABRICATION	143 - 20/07/2022	RCC PIPE 900 MM	2	8260	20020.00	2%	400.40
						RCC HUME PIPE 900MM 1.25MTR LONG	1	3500			
2	VKVNY	नि० पुली ओन लिंक रोड फ्रॉम मैं रोड पन्नर से गाँव पन्नर	VKVNY/2022-23/P/5 30/07/2022	A V CEMENT FABRICATION	142 - 20/07/2022	RCC PIPE 900 MM	5	8260	41300.00	2%	826.00
3	VMJS	नि० लिंक रोड साथ इन्टरलोकिंग टाइल बवासनी रोड से सील सुनानी SC BASTI	VMJS/2022-23/P/1 30/07/2022	A V CEMENT FABRICATION	200 - 23/07/2022	Interlock tiles 60mm	6000	20.1	240720.00	2%	4814.40
					199 - 23/07/2022	Interlock tiles 60mm	6000	20.1			
4	VMJS	नि० लिंक रोड साथ इन्टरलोकिंग टाइल मेन रोड से बाबू राम हॉउस	VMJS/2022-23/P/2 30/07/2022	A V CEMENT FABRICATION	203 - 24/07/2022	Interlock tiles 60mm	6000	20.1	240720.00	2%	4814.40
					202 - 24/07/2022	Interlock tiles 60mm	6000	20.1			
5	VMJS	नि० लिंक रोड मैं रोड से पन्नर गांव पन्नर	VMJS/2023-24/P/4 31/10/2023	A V CEMENT FABRICATION	207 - 30.10.2023	Interlock tiles 60mm	15000	18.9	283200.00	2%	5664.00
6	VMJS	नि० लिंक रोड मैं रोड से कोठा कनोन	VMJS/2023-24/P/6 31/10/2023	A V CEMENT FABRICATION	209 - 30/10/2023	Interlock tiles 60mm	10000	18.9	188800.00	2%	3776.00
7	VMJS	नि० लिंक रोड मैं रोड से पन्नर गांव पन्नर	VMJS/2023-24/P/5 31/10/2023	M/S GIAN CHAND GOVT CONTACTOR	64 - 30/10/2023	BAJRI	200	42	131040.00	2%	2620.80
						SAND	100	42			
						GATKA	2500	42			
						DUST	400	33.6			
8	VMJS	नि० लिंक रोड मैं रोड से कोठा कनोन	VMJS/2023-24/P/7 31/10/2023	M/S GIAN CHAND GOVT CONTACTOR	65 - 30/10/2023	BAJRI	1200	42	152880.00	2%	3057.60
						SAND	500	42			
						GATKA	1700	42			
						DUST	300	33.6			
9	Mnrega	निर्माण पक्का रास्ता GPS गोयला से दर्शन सिंह के घर तक	Nil / 13.07.2022	Roohani Concrete Works	564 - 16.03.2022	Interlock tiles 60mm	2800	15	49560.00	2%	991.20
				Roohani Concrete Works	565-17.03.2022	Interlock tiles 60mm	2800	15	49560.00	2%	991.20
				Roohani Concrete Works	566 - 18.03.2022	Interlock tiles 60mm	2800	15	49560.00	2%	991.20
				Roohani Concrete Works	570 - 20.03.2022	Interlock tiles 60mm	420	15	7434.00	2%	148.68
10	Mnrega	निर्माण पक्का रास्ता मेंन रोड से प्रेम चंद व राम परताप के घर तक	Nil / 13.07.2022	Roohani Concrete Works	567 - 20.03.2022	Interlock tiles 60mm	2800	15	49560.00	2%	991.20
				Roohani Concrete Works	569 - 24.03.2022	Interlock tiles 60mm	1900	15	33630.00	2%	672.60
								कुल राशि	1537984.00		30759.68

सचिव ग्राम पंचायत बवासनी

परिशिष्ट " ज ", पैरा संख्या " 8.4 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बवासनी द्वारा माह 07/2022 सभी अनुदानों में व 10/2023 के दोरान 15 वाँ आयोग के अतिरिक्त औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय किये गये सामग्री/स्टॉक ₹ 17.70 लाख की सूची

क्र०सं०	शीर्ष	काम का व्योरा	वा0 सं० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	कुल राशि	भुगतान की गई राशि	
1	VKVNY	नि० लिंक रोड विद पुली नियर सुख राम हाउस व अदर गाँव गुल्लरवाला	VKVNY/2022-23/P/4 30/07/2022	A V CEMENT FABRICATION	143 20/07/2022	RCC PIPE 900 MM	2	8260	20020	20020	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
						RCC HUME PIPE 900MM 1.25MTR LONG	1	3500			
2	VKVNY	नि० पुली ओन लिंक रोड फ्रॉम में रोड पन्नर से गाँव पन्नर	VKVNY/2022-23/P/5 30/07/2022	A V CEMENT FABRICATION	142 20/07/2022	RCC PIPE 900 MM	5	8260	41300	41300	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
3	VKVNY	नि० पुली ओन लिंक रोड फ्रॉम में रोड पन्नर से गाँव पन्नर	VKVNY/2022-23/P/6 30/07/2022	RAM CHAND	98 16/06/2022	SAND	2500	38.85	9712	36130	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
4					99 16/06/2022	BAJRI	500	38.85	26418		
5					100 16/06/2022	GATKA	180	38.85			
6	VMJS	नि० लिंक रोड साथ इन्टरलोकिंग टाइल बवासनी रोड से सील सुनानी SC BASTI	VMJS/2022-23/P/1 30/07/2022	A V CEMENT FABRICATION	200 - 23/07/2022	Interlock tiles 60mm	6000	20.06	120360	240720	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
7					199 - 23/07/2022	Interlock tiles 60mm	6000	20.06	120360		
8	VMJS	नि० लिंक रोड साथ इन्टरलोकिंग टाइल मेन रोड से बाबू राम हॉउस	VMJS/2022-23/P/2 30/07/2022	A V CEMENT FABRICATION	203 - 24/07/2022	Interlock tiles 60mm	6000	20.06	120360	240720	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
9					202 - 24/07/2022	Interlock tiles 60mm	6000	20.06	120360		
10	SDP	नि० रास्ता (टाइल) अर्जुन हाउस से अदर बवासनी	SDP/2022-23/P/4 22/07/2022	M/S SHIVA TILES	66 - 15/04/2022	Interlock tiles 60mm	2700	17.7	47790	84960	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
11					65 - 13/04/2022	Interlock tiles 60mm	2700	17.7	47790		
12	SDP	नि० रास्ता (टाइल) अर्जुन हाउस से अदर बवासनी	SDP/2022-23/P/5 22/07/2022	RAM CHAND	92 05/04/2022	BAJRI	100	38.85	26612	20000	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
						SAND	35	38.85			
						GATKA	400	38.85			
						DUST	150	38.85			
13	SDP	नि० रास्ता (टाइल) घरमंडल खुर्द से खाली रोड महोल	SDP/2022-23/P/6 22/07/2022	RAM CHAND	93 07/04/2022	BAJRI	280	38.85	19036	19036	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
						SAND	160	38.85			
						DUST	50	38.85			
14	SDP	नि० रास्ता (टाइल) घरमंडल खुर्द से खाली रोड महोल	SDP/2022-23/P/7 22/07/2022	M/S SHIVA TILES	61 09/04/2022	Interlock tiles 60mm	2700	15.34	72098	72098	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
					62 11/04/2022	Interlock tiles 60mm	2700	15.34			
15	VMJS	नि० लिंक रोड मैं रोड से पन्नर गांव पन्नर	VMJS/2023-24/P/4 31/10/2023	A V CEMENT FABRICATION	207 -30.10.2023	Interlock tiles 60mm	15000	18.88	283200	283200	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
16	VMJS	नि० लिंक रोड मैं रोड से पन्नर गांव पन्नर	VMJS/2023-24/P/5 31/10/2023	M/S GIAN CHAND GOVT CONTACTOR	64 - 30/10/2023	BAJRI	200	42	131040	131040	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
						SAND	100	42			
						GATKA	2500	42			
						DUST	400	33.6			
17	VMJS	नि० लिंक रोड मैं रोड से कोठा कनोन	VMJS/2023-24/P/6 31/10/2023	A V CEMENT FABRICATION	209 30/10/2023	Interlock tiles 60mm	10000	18.88	188800	188800	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
18	VMJS	नि० लिंक रोड मैं रोड से कोठा कनोन	VMJS/2023-24/P/7 31/10/2023	M/S GIAN CHAND GOVT CONTACTOR	65 30/10/2023	BAJRI	1200	42	152880	152880	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
						SAND	500	42			
						GATKA	1700	42			
						DUST	300	33.6			
19	Mnrega	निर्माण पक्का रास्ता GPS गोयला से दर्शन सिंह के घर तक	Nil / 13/07/2022	Roohani Concrete Works	564 16.03.2022	Interlock tiles 60mm	2800	15	49560	49560	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए दो समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
20				Roohani Concrete Works	565-17.03.2022	Interlock tiles 60mm	2800	15	49560	49560	
21				Roohani Concrete Works	566-18.03.2022	Interlock tiles 60mm	2800	15	49560	49560	
22				Roohani Concrete Works	570-20.03.2022	Interlock tiles 60mm	420	15	7434	7434	
23	Mnrega	निर्माण पक्का रास्ता मैंन रोड से प्रेम चंद व राम परताप के घर तक	Nil / 13/07/2022	Roohani Concrete Works	567-20.03.2022	Interlock tiles 60mm	2800	15	49560	49560	
24				Roohani Concrete Works	569- 24.03.2022	Interlock tiles 60mm	1900	15	33660	33630	
									कुल राशि	1770208	

38

परिशिष्ट "झ", पैरा संख्या "9.1" के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बवासनी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये सामग्री का भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.61 लाख के अनियमित भुगतान का पाया जाना

Sl. No.	Work Name (Work Code)	Work Category	Vendor Name	Bill No.	Bill Date (DD/MM/YYYY)	Date of payment (DD/MM/YYYY)	Bill Amount
1	C/O LAND DEVELOPMENT KAMAL NAYAN S/O JEET RAM (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32130017)	IF	RAM CHAND	57	1/3/2022	20/09/2022	2000.00
2	C/O LAND DEVELOPMENT BABU RAM S/O TARA CHAND (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32130031)	IF	RAM CHAND	58	2/3/2022	20/09/2022	3000.00
3	C/O LAND DEVELOPMENT JOGINDER SINGH S/O MUNSHI RAM (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32130035)	IF	RAM CHAND	56	1/3/2022	20/09/2022	3000.00
4	C/O LAND DEVELOPMENT BABU RAM S/O NIKU RAM (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32130036)	IF	RAM CHAND	54	1/3/2022	20/09/2022	2000.00
5	C/O LAND DEVELOPMENT DEV RAJ S/O MUNSHI RAM (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32130039)	IF	RAM CHAND	55	1/3/2022	20/09/2022	3000.00
6	C/O LAND DEVELOPMENT BHAGWAN DASS S/O THAKRU (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32130042)	IF	RAM CHAND	59	2/3/2022	20/09/2022	3000.00
7	C/O LAND DEVELOPMENT HEM RAJ S/O GOPALA RAM (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32130044)	IF	RAM CHAND	60	2/3/2022	20/09/2022	3000.00
8	C/O LAND DEVELOPMENT ARJUN S/O LEKH RAM (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32166271)	IF	RAM CHAND	61	2/3/2022	20/09/2022	3000.00
9	C/O LAND DEVELOPMENT PAYARA LAL S/O DAULAT RAM (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32166853)	IF	RAM CHAND	62	3/3/2022	20/09/2022	3000.00
10	C/O LAND DEVELOPMENT JAGGI RAM S/O BORU RAM (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32166864)	IF	RAM CHAND	63	3/3/2022	20/09/2022	2000.00
11	C/O LAND DEVELOPMENT HARI RAM S/O RATTNA RAM (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32166869)	IF	RAM CHAND	64	3/3/2022	20/09/2022	3000.00
12	C/O LAND DEVELOPMENT RAM LOK S/O TIKU RAM (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32166870)	IF	RAM CHAND	65	3/3/2022	20/09/2022	3000.00
13	C/O LAND DEVELOPMENT AMAR SINGH S/O SITA RAM (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32166881)	IF	RAM CHAND	66	3/3/2022	20/09/2022	2000.00
14	C/O Land Development Rikhi Ram S/O Matiya (G. P Bawasni) (1311004116/IF/32186445)	IF	RAM CHAND	70	5/3/2022	20/09/2022	1800.00
15	C/O LAND DEVELOPMENT RAM KARAN S/O BHAGWAN DASS (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32192799)	IF	RAM CHAND	67	4/3/2022	20/09/2022	3000.00

Sl. No.	Work Name (Work Code)	Work Category	Vendor Name	Bill No.	Bill Date (DD/MM/YYYY)	Date of payment (DD/MM/YYYY)	Bill Amount
16	C/O TAINK DAYA RAM S/O SADH RAM (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32192801)	IF	GUPTA GENERAL STORE	3775	11/10/2021	17/06/2022	7192.08
17	C/O LAND DEVELOPMENT RAM CHAND S/O TARA CHAND (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32192806)	IF	RAM CHAND	68	4/3/2022	20/09/2022	3000.00
18	C/O LAND DEVELOPMENT VEER SINGH S/O RATTNA RAM (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32203141)	IF	RAM CHAND	71	5/3/2022	20/09/2022	3000.00
19	C/O LAND DEVELOPMENT BHUPENDER SINGH S/O KISHAN SINGH (VILL. KOTHA KANON G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32214956)	IF	RAM CHAND	72	6/3/2022	20/09/2022	2000.00
20	C/O CATTLE SHED JOGINDER S/O KISHAN CHAND (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32220960)	IF	GUPTA GENERAL STORE	3779	12/10/2021	17/06/2022	22951.00
			RAM CHAND	73	6/3/2022	20/09/2022	1500.00
21	C/O TAINK DAYA RAM S/O SADH RAM (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32192801)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	518	12/3/2023	16/03/2024	2999.84
22	C/O Tank Nand Parkash (G.p Bawasni) (1311004116/IF/32198938)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	511	12/3/2023	16/03/2024	1496.26
23	C/O LAND DEVELOPMENT GAIN CHAND S/O RAM SHARAN (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32203142)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	526	12/3/2023	20/06/2023	2399.26
24	C/O Danga Near the House of Satya Devi W/O Babu Ram (g.p Bawasni) (1311004116/IF/32249535)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	506	12/3/2023	27/02/2024	499.80
25	C/O TAINK ARJUN SINGH S/O MANI RAM (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32255278)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	516	12/3/2023	20/06/2023	2999.84
26	C/O LAND DEVELOPMENT GAIN CHAND S/O DHARM PAL VILL. SUNANI (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32255281)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	507	12/3/2023	20/06/2023	2999.84
27	C/O TAINK NAND LAL S/O RAM KISHAN VILL. CHIKANI (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32255282)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	505	12/3/2023	20/06/2023	2999.84
28	C/O CATTLE SHED MEERA DEVI W/O RAJENDER SINGH VILL. JABBAL TAPRIYAN (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32255287)	IF	GUPTA GENERAL STORE	1600	20/02/2023	27/06/2023	9333.63
29	C/O LAND DEVELOPMENT DILA RAM S/O BABU RAM VILL. GOELA (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32255289)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	514	12/3/2023	20/06/2023	2399.26
30	C/O TAINK RAM LAL S/O SITA RAM S/O SITA RAM VILL. AMRU G.P BAWASNI (1311004116/IF/32257358)	IF	GUPTA GENERAL STORE	1593	17/02/2023	27/06/2023	10490.98
			M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	525	12/3/2023	27/02/2024	1496.26
31	C/O CATTLE SHED RAM CHAND S/O BHAGTU (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32257385)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	510	12/3/2023	20/06/2023	999.60
32	C/O CATTLE SHED MAN SINGH S/O ASHA RAM VILL. AMRU (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32257391)	IF	GUPTA GENERAL STORE	1625	24/02/2023	27/06/2023	9333.63
			M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	522	12/3/2023	27/02/2024	999.60

40

Sl. No.	Work Name (Work Code)	Work Category	Vendor Name	Bill No.	Bill Date (DD/MM/YYYY)	Date of payment (DD/MM/YYYY)	Bill Amount
33	C/O LAND DEVELOPMENT PREM CHAND S/O HARIYA VILL. PANNER (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32257403)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	512	12/3/2023	27/02/2024	1695.76
34	C/O DANGA NEAR THE HOUSE OF RAMESHWER S/O LAJJA RAM VILL. JABBAL TAPRIYAN (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32257411)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	524	12/3/2023	27/02/2024	999.60
35	C/O RWH TAINK SANTOKH SINGH S/O BUDH RAM VILL. KOLKA (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32257422)	IF	GUPTA GENERAL STORE	1210	13/12/2022	27/06/2023	10335.99
			M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	513	12/3/2023	27/02/2024	1197.00
36	C/O CATTLE SHED SHYAM LAL S/O DIWAN CHAND (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32257475)	IF	GUPTA GENERAL STORE	1615	22/02/2023	27/06/2023	9333.75
			M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	523	12/3/2023	27/02/2024	999.60
37	C/O DANGA NEAR THE HOUSE OF RAMA KANT S/O RAM RAKHU (G.P BAWASNI) (1311004116/IF/32257481)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	508	12/3/2023	20/06/2023	700.36
38	C/O Land Development Dhani Ram S/O Sita Ram vill Bairta G. P Bawasni (1311004116/IF/32281292)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	515	12/3/2023	20/06/2023	1695.76
39	C/O TAINK SATBIR S/O HARI CHAND G.P BAWASNI (1311004116/IF/8000086141)	IF	M/S JOGINDER PAINTER RAMSHEHAR	519	12/3/2023	20/06/2023	2999.84
						कुल राशि	160848.38

41

परिशिष्ट "5", पैरा संख्या "10.1" के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बवासनी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विवाह शुल्क के रूप में वसूली गई राशि की सूचि

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली योग्य शेष राशि	रसीद संख्या	रसीद दिनांक	Online रोकड़ बही पृष्ट संख्या
1	वीर सिंह	13.03.2022	08.04.2022	200	200	0	66202	08.04.2022	उपलब्ध नहीं है
2	संजीव कुमार	13.03.2022	08.04.2022	200	200	0	66203	08.04.2022	उपलब्ध नहीं है
3	अमित कुमार	10.05.2022	23.05.2022	200	200	0	66209	23.05.2022	उपलब्ध नहीं है
4	राम कृष्ण	03.04.2022	28.05.2022	400	400	0	66210	28.05.2022	उपलब्ध नहीं है
5	गुरमुख सिंह	03.04.2022	28.05.2022	400	400	0	66211	28.05.2022	उपलब्ध नहीं है
6	नरेन्द्र कुमार	22.04.2022	03.06.2022	400	400	0	66212	03.06.2022	उपलब्ध नहीं है
7	नसीब चंद	27.04.2022	07.06.2022	400	0	400	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
8	पंकज कुमार	21.06.2022	14.07.2022	200	200	0	66216	14.07.2022	उपलब्ध नहीं है
9	रमेश कुमार	15.05.2022	29.07.2022	400	400	0	66218	29.07.2022	उपलब्ध नहीं है
10	धर्म पाल	09.07.2022	30.08.2022	400	0	400	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
11	सुनील कुमार	20.07.2022	01.09.2022	400	0	400	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
12	वीरेंद्र कुमार	07.08.2022	18.10.2022	400	400	0	66231	18.10.2022	उपलब्ध नहीं है
13	राज कुमार	26.09.2022	18.10.2022	200	0	200	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
14	जसवंत सिंह	08.12.2022	10.01.2023	400	0	400	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
15	कमल सिंह	17.12.2022	16.01.2023	200	0	200	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
16	भगत सिंह	19.12.2022	16.01.2023	50	0	50	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
17	नीरज	04.12.2022	15.02.2023	400	0	400	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
18	सरवन सिंह	02.12.2022	28.02.2023	400	0	400	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
19	हरी राम	17.2.2023	06.03.2023	200	0	200	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
20	पिंकी राम	17.2.2023	06.03.2023	200	0	200	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
21	लखविंदर	22.02.2023	03.04.2024	400	0	400	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
22	पवन कुमार	10.02.2023	05.04.2023	400	0	400	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
23	नरेश कुमार	09.03.2023	05.04.2023	200	0	200	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
24	कालू राम	13.05.2023	09.06.2023	200	0	200	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
25	भूपेन्द्र सिंह	10.05.2023	09.06.2023	200	0	200	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
26	नन्द लाल	31.05.2023	28.06.2023	200	0	200	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
27	गीता राम	10.07.2023	04.08.2023	200	200	0	66255	04.08.2023	उपलब्ध नहीं है
28	जसविंदर सिंह	01.07.2023	14.08.2023	400	0	400	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
29	दर्शन सिंह	28.08.2023	25.10.2023	400	0	400	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
30	अमित कुमार	06.11.2023	01.12.2023	200	0	200	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
31	कर्म चन्द	07.09.2023	01.12.2023	400	0	400	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
32	राम प्रताप	07.09.2023	01.12.2023	400	0	400	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
33	राजेश कुमार	14.11.2023	13.12.2023	200	0	200	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
34	कलजीत	28.11.2023	22.12.2023	200	0	200	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
35	प्रवीन कुमार	19.10.2023	27.12.2023	400	400	0	66266	27.12.2023	उपलब्ध नहीं है
36	विजयपाल	03.11.2023	27.12.2023	400	400	0	66267	27.12.2023	उपलब्ध नहीं है
37	राजिंदर कुमार	15.12.2023	07.03.2024	400	0	400	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
38	राज कुमार	05.03.2024	22.03.2024	200	0	200	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
	कुल राशि			11450	3800	7650			

42

सचिव